N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0173 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/07/2025 13:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/07/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 21:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:51 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/07/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/07/2025 13:07:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** PARISAR GRAM PANCHYAT SUVANIYA, TEHASIL NAINVA,JILA BUNDI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): RAMPHOOL BERWA
   (b) Father's Name (पिता का नाम): LADURAM BERWA
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1980 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KHOLADA, NAINWA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	IKBALGANJ THANA GHAD, TONK, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BIJENDRA KUMAR YADAV		पिता:KISHAN LAL YADAV	1. GRAM BIRANWAS, MANDHAN,कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 27.06.2025 - समय 9.00 एएम- परिवादी श्री रामफूल बैरवा द्वारा एसीबी हेल्प लाईन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर पर श्री बिजेन्द्र कुमार पटवारी सुवानियां तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा उसकी जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांगने बाबत शिकायत की गई। एसीबी मुख्यालय की हेल्प लाईन द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी के मोबाईल नम्बर से अवगत कराया जाकर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया गया। इस पर उक्त सूचना एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से राम सिंह कानि को अवगत कराकर परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के चौकी बून्दी से ग्राम सुवानियां रवाना हिदायत देकर रवाना किया गया। समय:-07.00 पीएम पर कानि0 रामसिंह मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के वापस चौकी पर आया तथा कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं परिवादी रामफूल बैरवा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मन उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मै चौकी बून्दी से रवाना होकर मोटर साईकिल से नैनवां बस स्टैण्ड के बाहर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री रामफूल बैरवा उपस्थित मिला जिसने मौखिक रूप से पटवारी बिजेन्द्र कुमार के विरूद्व रिश्वत मांगने की शिकायत की सूचना देना स्वीकार किया। तत्पश्चात सूचना के अनुसार आरोपी बिजेन्द्र कुमार हल्का पटवारी सुवानिया के विरूद्व कार्यवाही के सम्बन्ध में एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ कानिस्टेबल राम सिंह को पेश किया। तत्पश्चात निर्देशानुसार परिवादी रामफूल बैरवा को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार के पास रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रवाना किया। इस दौरान मै परिवादी से थोडी दूरी बनाते हुये पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मौजूद रहा। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया जिसने डीवीआर मुझे देकर बताया कि आरोपी पटवारी बस स्टैण्ड पर मिला था जिससे रिश्वत सम्बन्धी बातचीत नही हो सकी। पटवारी ने आईन्दा बुलवाया है। जिस पर मै परिवादी को मौके पर ही छोडकर रवाना होकर कार्यालय आया। मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । परिवादी से सम्पर्क कर आईन्दा से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना तय किया गया। दिनांक 01.07.2025 को समय 8.00 एएम पर श्री राम सिंह कानि 78 को मय डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी श्री रामफूल बैरवा से सम्पर्क रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निजी वाहन से ग्राम सुवानिया रवाना किया गया। तत्पश्चात कानि0 रामसिंह मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के वापस चौकी पर आया तथा कानिस्टेबल राम सिंह द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन उप पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मै चौकी बून्दी से रवाना होकर ग्राम सुवानियां के पहले स्थित पैट्रोल पम्प पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री रामफूल बैरवा उपस्थित मिला। तत्पश्चात निर्देशानुसार परिवादी रामफूल बैरवा को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार के किराये के कमरे पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु रवाना किया। इस दौरान मै आरोपी किराये के कमरे के पास स्थित हनुमान जी के मन्दिर पर अपनी उपस्थिती छुपाते हुये मौजूद रहा। करीब 17 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया जिसने डीवीआर मुझे देकर बताया कि आरोपी पटवारी उसके किराये के कमरे पर मौजूद मिला जिससे मेरी जमीन के नामान्तरण सम्बन्धी वार्ता हुई है तथा आरोपी पटवारी से मैने 50 हजार रूपये रिश्वत की राशि कम करने के लिए निवेदन किया तो पटवारी ने कागज पर 45 हजार रूपये लिखकर बताया। मेरे द्वारा काफी निवेदन करने के बावजूद भी आरोपी पटवारी 45 हजार रूपये लेने पर अटल रहा। तथा रिश्वत राशि मेरे को एक साथ लेकर बुलाया है। मेरे व आरोपी पटवारी के मध्य जो भी वार्ता हुई है वह इस डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। जिस पर मन कानिस्टेबल द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करके दिनांक 03.07.2025 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर निर्देशानुमार परिवादी को मौके से रवाना कर मन कानिस्टेबल मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के एसीबी कार्यालय बून्दी आया । मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कथित आरोपी द्वारा परिवादी से 45 हजार रिश्वत की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया है। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की दिनांक 03.07.2025 को समय 9.30 एएम पर तलबी हेतु कानि मनोज कुमार 452 को तहरीर दी जाकर कार्यालय उपवन सरक्षंक बून्दी रवाना किया गया। श्री मनोज कुमार कानि 452 कार्यालय उपवन सरंक्षक बून्दी से वापस आया और बताया कि

दिनांक 03.07.2025 को समय 9.30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो गवाह कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पाबन्द कर दिये गये है। गवाह पाबन्द पत्र की प्रति पेश की गई, जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 03.07.2025 समय 10.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री रामफूल बैरवा उपस्थित कार्यालय एसीबी चौकी बून्दी आया। जिससे मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 27.06.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा मौखिक रूप से अवगत कराया कि हमारे सांमलाती जमीन का नामान्तरण दर्ज करवाना है जिसकी एवज में पटवारी बिजेन्द्र कुमार पहले तो 50 हजार की मांग कर रहा था। जिसकी सूचना मैने एसीबी हेल्प लाईन पर दी थी, तथा सत्यापन के दौरान उक्त आरोपी की बातचीत की रिकोर्डिंग भी की है। सत्यापन के दौरान आरोपी पटवारी से मेरे द्वारा निवेदन किया तो पटवारी 45 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई। मै आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रूपये की व्यवस्था करके लाया हूं और इसी राशि में मै आरोपी पटवारी को शेष राशि आईन्दा देने की बात करके सहमत कर लूंगा। परिवादी को कार्यालय में मुकीम रहने की हिदायत दी गई। परिवादी ने अपने पास से हंसा पुत्री चन्द्रा, कमला पुत्री चन्द्रा द्वारा दिनांक 20 जून 2018 को परिवादी रामफूल बैरवा एवं उसके चाचा कल्याण एवं रामकुवांर के पक्ष में ग्राम खोलाडा पटवार मण्डल सुवानियां तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 437, 438, 439, 440, 442, 443, 449, 450, 451, 455 कुल किता 10 एवं खसरा संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 452, 680 एवं खसरा संख्या 618, 648, 653, 656, 668, 673, 681, 682, 718 के हक त्याग के पंजीयन की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात कार्यालय उपवन सरंक्षक बून्दी से स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चौपदार पुत्र श्री दशरथ चौपदार जाति बलाई उम्र 26 साल निवासी ग्राम हापोलाई पोस्ट मोडसा तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वनरक्षक कार्यालय उपवन सरंक्षक बून्दी मोबाईल नम्बर [redacted]एवं श्री बन्टी कुमार मीणा पुत्र श्री श्योजीलाल जाति मीणा उम्र 24 साल निवासं मरां पोस्ट सादेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वनरक्षक कार्यालय उपवन सरंक्षक बून्दी मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित कार्यालय आये। कार्यवाही के क्रम में कार्यालय पर उपस्थित परिवादी रामफूल बैरवा एवं स्वतंत्र गवाहो का आपस में परिचय करवाया गया। स्वतंत्र गवाहो को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं सत्यापन रिकोर्ड वार्ताओ को सुनाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहो द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु सहमति प्रदान कर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। समय 11.15 ए.एम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामफूल बैरवा पुत्र स्व. श्री लादूराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 45 साल निवासी इकबालगंज थाना घाड जिला टोंक हाल खोलाडा थाना नैनवां जिला बून्दी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये मन उप अधीक्षक ज्ञानचन्द के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 8UC916661 2 एक नोट पांच सौ रूपये 8SR157369 3 एक नोट पांच सौ रूपये 4WR899410 4 एक नोट पांच सौ रूपये 8HS751261 5 एक नोट पांच सौ रूपये 9NS540186 6 एक नोट पांच सौ रूपये 1HA141662 7 एक नोट पांच सौ रूपये 9KN730306 8 एक नोट पांच सौ रूपये 7GF108889 9 एक नोट पांच सौ रूपये 4BK066338 10 एक नोट पांच सौ रूपये 1PQ140747 11 एक नोट पांच सौ रूपये 6FW703565 12 एक नोट पांच सौ रूपये 6DD583998 13 एक नोट पांच सौ रूपये 0AR482342 14 एक नोट पांच सौ रूपये 7GL550045 15 एक नोट पांच सौ रूपये 1CG774495 16 एक नोट पांच सौ रूपये 4MA425497 17 एक नोट पांच सौ रूपये 4EK718247 18 एक नोट पांच सौ रूपये 8SB363044 19 एक नोट पांच सौ रूपये 1MR787501 20 एक नोट पांच सौ रूपये 3QS908175 21 एक नोट पांच सौ रूपये 1AK567749 22 एक नोट पांच सौ रूपये 1KT781732 23 एक नोट पांच सौ रूपये 0FT349980 24 एक नोट पांच सौ रूपये 4EM877763 25 एक नोट पांच सौ रूपये 1TP698590 26 एक नोट पांच सौ रूपये 5BV429721 27 एक नोट पांच सौ रूपये 8GD407521 28 एक नोट पांच सौ रूपये 4GC339487 29 एक नोट पांच सौ रूपये 4HR981836 30 एक नोट पांच सौ रूपये 9AF260171 31 एक नोट पांच सौ रूपये 7HR114661 32 एक नोट पांच सौ रूपये 0FT381939 33 एक नोट पांच सौ रूपये 9LA105583 34 एक नोट पांच सौ रूपये 8CA702010 35 एक नोट पांच सौ रूपये 9DS355297 36 एक नोट पांच सौ रूपये 3VD543030 37 एक नोट पांच सौ रूपये 3GP915210 38 एक नोट पांच सौ रूपये 0FQ086815 39 एक नोट पांच सौ रूपये 4AH221601 40 एक नोट पांच सौ रूपये 8BD340265 उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी रामफूल बैरवा की जामा तलाशी गवाह श्री रामावतार चौपदार से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी रामफूल बैरवा के पहनी हुयी पेंट की जेब में उक्त फिनोप्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को

डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री रामफूल बैरवा व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर महिला कानि 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादी, गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्क्न व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया। परिवादी श्री रामफूल बैरवा को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाया गया। परिवादी श्री रामफूल बैरवा को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद स्वयं के मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसकॉल करें अथवा अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.55 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही के क्रम में सरकारी वाहन बोलेरो में श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106, श्री रामसिहं कानि एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चौपदार, श्री बन्टी कुमार मीणा मय परिवादी श्री रामफूल बैरवा मय चालक श्री प्रेम प्रकाश के एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री मनोज कानि. व विक्रम सिंह कानि 72 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के साथ प्राइवेट वाहन से ग्राम सुवानियां रवाना हुयें। तत्पश्चात समय 1.25 पी.एम पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राइवेट वाहन से ग्राम सुवानियां से पहले स्थित पैट्रोल पम्प पर पहुॅचें, जहां परिवादी रामफूल बैरवा को डिजीटल वाइस रिकॉर्डर देकर आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार के पास रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया तथा श्री राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कुमार कानि. 452 को परिवादी से कुछ दूरी पर मुकीम रहकर निगरानी करने के निर्देश देकर रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय विक्रम कानि प्राईवेट वाहन से तथा श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चौपदार, श्री बन्टी कुमार मीणा मय चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के सरकारी वाहन बोलेरो के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये सुवानियां से पहले स्थित पैट्रोल पम्प पर परिवादी/ राम सिंह व मनोज कानि की सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहे तथा कार्यवाही की विडियोग्राफी हेतु इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के सरकारी मोबाईल मय मैमोरी कार्ड में कार्यवाही की विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 01.51 पीएम पर श्री मनोज कानि. 452 ने मन उप पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी श्री रामफूल बैरवा से रिश्वत प्राप्त कर लेने के सम्बन्ध में सूचित किया। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम मय स्वतंत्र गवाह को एकत्रित कर मय वाहनो के ग्राम सुवानिया से पूर्व पैट्रोल पम्प से रवाना होकर ग्राम पंचायत कार्यालय सुवानियां पहुंचे, जहां पर परिवादी रामफूल बैरवा उपस्थित मिला, जिसनें मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार ने ग्राम पंचायत के भवन की गली में ले जाकर मेरे से 20,000 रूपये रिश्वत प्राप्त कर अपनी पेंट की दाहिनीं जेब में रखे है तथा शेष राशि बाद में देना तय हुआ है। हमारे बीच रिश्वत लेनदेन के दौरान जो भी बातचीत हुई है वह सरकारी वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है तथा सरकारी डिवाईस मैने राम सिंह कानिस्टेबल को पेश कर दिया, जिसे उन्होने बंन्द करके अपने पास रख लिया है। तथा सामने कुर्सी पर बैठा हुआ पेंट और टीशर्ट पहना हुआ व्यक्ति ही बिजेन्द्र कुमार पटवारी है। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताये गये हुलिये के व्यक्ति से मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम पता पूछा तो उसने स्वयं का नाम बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी होना बताया। इस मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी पटवारी से परिवादी से प्राप्त रिश्वत के बारे में पूछा तो प्रारम्भ में आरोपी ने बताया कि परिवादी ने अपनी स्वयं की इच्छा से ही रिश्वत दी है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि मेरे परिवार की सामांलाती खाते की करीब 48 बीघा जमीन ग्राम खोलाडा पटवार मण्डल सुवानियां तहसील नैनवां में स्थित है, उक्त जमीन के खातेदार मेरी बुवा हंसा, बुवा कमला, बहिन मीरा एवं मेरी माताजी तुलसा देवी ने वर्ष 2018 में हक त्याग कर दिया था। उक्त हक त्याग का नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए मैने तत्कालीन तहसीलदार साहब को कागज पेश किये थे, जिन्होने मुझे नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए पटवार मण्डल सुवानियां के पटवारी के पास भिजवाया था। उक्त तत्कालीन पटवारी ने मेरा काम नही किया एवं उसका स्थानान्तरण हो गया था। इसके बाद करीब में 40-50 दिन पहले मौजूदा पटवारी बिजेन्द्र कुमार से मिला तो इन्होने हमारी जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में पेश की थी। दिनांक 01.07.2025 को सत्यापन के दौरान मैने पटवारी जी से 50 हजार

रिश्वत राशि कम करने के लिए कई बार निवेदन किया। परन्तु पटवारी जी ने कागज पर लिखकर 45 हजार रूपये लेने की सहमति जाहिर की। इसके बाद मेरे पास मात्र 20 हजार रूपये की ही व्यवस्था हो सकी, जिस पर मैने आज उनकी वार्तानुसार 20 हजार रिश्वत राशि दी थी, जो पटवारी बिजेन्द्र कुमार ने लेकर अपनी पेंट की जेब में रख ली तथा शेष राशि बाद में देना तय हुआ। जिस पर आरोपी से पुनः पूछताछ की तो आरोपी द्वारा गलती हो गई यह कहते हुये परिवादी से प्राप्त 20 हजार रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रिश्वत राशि होना बताया। जिस पर स्वतंत्र गवाह रामावतार चौपदार से आरोपी की पहनी हुई पेंट की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से परिवादी से ली गई रिश्वत की राशि 20 हजार रूपये बरामद हुये। उक्त नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित आरोपी से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 20 हजार रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार ने बताया कि यह राशि मैने परिवादी से उसकी जमीन का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में लेकर मेरी पेंट की जेब में रखी है। आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार की पेंट की दाहिनी जेब से बरामशुदा रिश्वत राशि 20 हजार रूपये स्वतंत्र गवाह श्री रामावतार चौपदार के पास से प्राप्त कर नोटों पर अंकित नम्बरो का मिलान स्वतंत्र गवाह बंटी कुमार मीणा से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां से मिलान किये तो सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना पाया गया। उक्त नोटो का विवरण अंकित कर एक लिफाफे में रखवाया जाकर श्री देवेन्द्र सिंह हैड कानि 106 को सुपुर्द किये गये। इसके बाद आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से साफ पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार की पेंट की दाहिनीं जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब के धोवन लेने हेतु स्टॉफ से पजामा मंगवाया जाकर आरोपी की पेंट बदलवा कर पजामा पहनाया गया। इसके उपरान्त एक गिलास में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त गिलास में आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को उल्टा करके जेब का धोवन किया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट को बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली सील्ड कर मार्क पी अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी के कब्जे से बरामद एक मोबाईल रियलमी कम्पनी का बरंग हरा मिला, जिसके आई.एम.ई. नम्बर [redacted] है, जिसमें आरोपी द्वारा एक सिम उपयोग में लेना बताया, सिम के नम्बर [redacted] होना बताया। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व में बातचीत होना सामने आया है। अतः मोबाईल को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एम अंकित किया गया। आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार से मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा जमीन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पेश किये हक त्याग की प्रति के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि अभी मुझे ध्यान नही है, मै कही रख कर भूल गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा परिवादी श्री रामफूल बैरवा पुत्र स्व. श्री लादूराम बैरवा जाति बैरवा उम्र 45 साल निवासी इकबालगंज थाना घाड जिला टोंक हाल खोलाडा थाना नैनवां जिला बून्दी से जमीन का नामान्तरण दर्ज करवाने की एवज में रिश्वत की मांग कर 20 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध होने से उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही के क्रम में स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की निशादेही से रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामफूल बैरवा तथा आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 01.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामफूल बैरवा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी रामफूल बैरवा पटवारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री

रामफूल बैरवा तथा आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 03.07.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जो मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा है। उक्त वार्ता को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकॉर्डशुदा वार्ता की पहचान परिवादी रामफूल बैरवा से करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री विक्रम सिंह कानि 72 से तैयार करवाई जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके पश्चात आरोपी बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.07.2025 व दिनांक 03.07.2025 की रिश्वत लेन-देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी ने अपने प्रत्युत्तर में लिखित में जवाब पेश किया कि "मैं अपनी स्वैच्छा से आवाज का नमूना नही देना चाहता हूं। " नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.30 पी.एम. पर आरोपी बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी के ग्राम पंचायत भवन के पास ही स्थित श्री शोजीलाल धाकड के मकान में किराये के कमरे की खाना तलाशी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ली जाकर फर्द खाना तलाशी मूर्तिब का सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं खाना तलाशी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक के द्वारा की गई। समय 08.15 पी.एम. पर मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी बिजेन्द्र कुमार को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर सरकारी/प्राइवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय बून्दी रवाना होकर एसीबी चौकी बून्दी आया तथा मुल्जिम को जाप्ते की निगरानी में बैठाकर जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कार्यवाही के क्रम में परिवादी श्री रामफूल बैरवा तथा आरोपी बिजेन्द्र कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 01.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 03.07.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो मूल डिजीटल वाईस रिकोर्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। श्री विक्रम सिंह कानि 72 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड दोनो वार्ताओं को KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के 03 पेन ड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी (Copy) किया गया। मूल डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रखे मूल मैमोरी कार्ड की हैश वेल्यू मनोज कुमार कानि 452 से निकलवा कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपीशुदा पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए, एक पेन ड्राईव एफएसएल परीक्षण हेतु अतिरिक्त पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किया गया। एक पेन ड्राईव अनसील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गइ। तत्पश्चात आरोपी बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा परिवादी रामफूल बैरवा से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के उपरांत बरामदगी की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में सरकारी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। जिसे सरकारी लेपटॉप के माध्यम से मूल मैमोरी कार्ड से 02 पृथक-पृथक KDM Connecting Forever कम्पनी के 8 जीबी के पेन ड्राईव में लिया जाकर कॉपी (Copy) किया गया है। उक्त मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिए एवं कॉपीशुदा एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव अनसील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिए रखा गया। कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी रामफूल बैरवा के परिवार के सामलाती खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 437, 438, 439, 440, 442, 443, 449, 450, 451, 455 कुल किता 10 एवं खसरा संख्या 444, 445, 446, 447, 448, 452, 680 कुल किता 07 एवं खसरा संख्या 618, 648, 653, 656, 668, 673, 681, 682, 718 कुल किता 09 ग्राम खोलाडा पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में खातेदार परिवादी की बुआ हंसा, कमला एवं बहिन मीरा एवं माता तुलसा देवी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का हक त्याग परिवादी एवं उसके परिजनो के पक्ष में दिनांक 20 जून 2018 को करके हक त्याग का पंजीयन करवाया गया। इसके पश्चात परिवादी ने रामफूल बैरवा द्वारा उक्त हक त्याग के आधार पर आरोपी पटवारी बिजेन्द्र कुमार से नामान्तरण दर्ज करने बाबत सम्पर्क किया तो आरोपी ने उक्त भूमि का नामान्तरण दर्ज करने की एवज में परिवादी से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिसकी सूचना एवं लिखित शिकायत परिवादी द्वारा दिनांक 27.06.2025 को एसीबी चौकी बून्दी पर प्रस्तुत की गई। शिकायत का दिनांक 01.07.2025 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी के निवेदन करने पर आरोपी द्वारा

उक्त भूमि के नामान्तरण दर्ज करने की एवज में 45 हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। सत्यापन उपरान्त दिनांक 03.07.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत सुवानियां के सरकारी भवन में परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर पहनी हुई की दाहिनीं जेब में रखी गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि आरोपी की पेंट की दाहिनीं जेब से बरामद हुई तथा आरोपी के दोनो हाथों एवं पेंट की जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। आरोपी बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी................कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द ,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री बिजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री किशन लाल जाति यादव उम्र 43 साल निवासी ग्राम बिरनवास थाना माडन जिला कोटपुतली बहरोड हाल पटवार पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवां जिला बून्दी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरीश भारती, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 87 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी)उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 989-92 दिनांक 06-07-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- जिला कलक्टर बून्दी। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ।उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ....

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Harish Bharti **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/07/2025 13:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/04/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)